व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

आर0 ई0 आर0 केश सं0–47/2012–13
तारनी प्रसाद साह
बनाम्
रोहित साह

29/2/2020

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया आवेदक तारनी प्रसाद साह, पे0–स्व0 भीखन मंडल, सा0–डुमरिया माल, थाना–गोड्डा, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् मौजा–डुमरिया माल, थाना नं0–383 के जमाबंदी सं0–24, दाग नं0–90, रकवा–00–01–11 धुर जमीन से विपक्षी रोहित साह, पे0–स्व0 किसन साह, वो पंकज कुमार साह, पे0–स्व0 कांति साह, सा0–डुमरिया माल, थाना–गोड्डा (मु0), जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए प्रारंभ किया गया है।

आवेदक का आवेदन है कि मौजा–डुमरिया माल थाना नं0–383, जमाबंदी सं0–24, रकवा–03–14–18 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में भीखन मंडल वो लखन मंडल के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत लखन मंडल की मृत्यु नावल्द् होने के कारण उनके हिस्से की जमीन जमाबंदी रैयत भीखन मंडल के दखल में आया। भीखन मंडल अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः जीतु साह वो प्राण मोहन साह वो तारनी प्रसाद साह को छोड़कर फौत कर गये। तीनों भाईयों में आपसी बँटवारा कर लिया है एवं बँटवारा के अनुसार दाग नं0–90 की जमीन आवेदक को प्राप्त है। उक्त दाग नं0 की जमीन में से रकवा–00–01–11 धुर जमीन विपक्षी ने गलत ढंग से कब्जा कर लिया है। आवेदक ने विपक्षी को उक्त जमीन से उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी का कथन है कि वर्त्तमान वाद की प्रक्रिया चलने योग्य नहीं है। क्योंकि आवेदक एवं विपक्षी दोनों गोतिया है एवं आपसी पारिवारिक व्यवस्था के तहत् विपक्षी को उक्त जमीन प्राप्त है और अन्य हिस्सेदार को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होनें आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–150/रा0, दिनांक–27/01/2018 से जाँच–प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–डुमरिया माल, थाना नं0–383, जमाबंदी सं0–24, दाग नं0–90, रकवा–00–04–09 धुर जमीन खतियान में भीखन मंडल वो लखन मंडल, पे0–फौदी मंडल के नाम से दर्ज है। उक्त दाग नं0–90 के अंश भाग पर रोहित साह, पे0–किसन साह, ग्राम–माल डुमरिया का मकान है, जिसमें सपरिवार रह रहा है। उक्त मकान अवैध रूप से विपक्षी रोहित साह के दखल में है।

उपरोक्त तथ्यों एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–डुमरिया माल नं0–383, जमाबंदी सं0–24 गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में भीखन मंडल वो

लखन मंडल, पे0—फौदी मंडल के नाम से दर्ज है। विपक्षी ने अपने कारण—पृच्छा में दावा किया है कि दोनों पक्ष गोतिया है। लेकिन जॉच—प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का दखल अवैध है। गत सर्वे के अनुसार प्रश्नगत जमीन कृषि योग्य जमीन है। यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 का उल्लंघन का मामला है।

अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मौजा—डुमरिया माल, थाना नं0—383, जमाबंदी सं0—24, दाग नं0—90, रकवा—00—01—11 धुर जमीन से विपक्षी को उच्छेद किया जाता है तथा विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि भूमि आवेदक को वापस कर दें। दखल दिहानी के लिए ओदश की प्रति अंचल अधिकारी, गोड्डा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

Seen
23.05.2020